

Chemical Factory Licence Guide

Chemicals & Process Industry

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

खतरनाक-प्रक्रिया वाली इकाई के लिए कारखाना अधिनियम (Factories Act) के अंतर्गत फ़ैक्टरी लाइसेंस अनिवार्य है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल फ़ैक्टरी लाइसेंस के प्लान-अनुमोदन, सुरक्षा-प्रावधान और आवेदन समझाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

खतरनाक-प्रक्रिया हेतु फ़ैक्टरी लाइसेंस पाने के लिए उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

आवेदन राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक / औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय को, Factories Act के अंतर्गत जाता है।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

कारखाना भवन/मशीनरी योजनाएँ, खतरनाक-प्रक्रिया विवरण, सुरक्षा-प्रावधान और जनशक्ति निरीक्षणालय को दें, प्लान-अनुमोदन फिर लाइसेंस लें, तत्पश्चात निरीक्षण।

शुल्क और खर्च

शक्ति और श्रमिक-संख्या पर आधारित राज्य-निर्धारित फ़ैक्टरी लाइसेंस शुल्क ; लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत।

इसकी जाँच किससे कराएँ

मुख्य कारखाना निरीक्षक, जो लाइसेंस देने/नवीनीकरण से पहले योजनाएँ अनुमोदित और कारखाने का निरीक्षण करते हैं।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

बिना फ़ैक्टरी लाइसेंस खतरनाक-प्रक्रिया अवैध है ; आवश्यकताएँ राज्य अनुसार भिन्न।

साथ के दस्तावेज़

- PESO / Petroleum Licence Guide
- Pollution Consent (CTE/CTO) Guide
- Poisons / Restricted Chemical Licence Guide
- Chemical Import Compliance Guide
- Major Accident Hazard (MAH) Guide
- Explosives / Reactive Chemical Licence Guide

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार

बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

AiSevak.in द्वारा तैयार — ABL Digital Technologies का उत्पाद। भारत के लिए एआई-संचालित व्यावसायिक सेवाएँ।